



को पेश हो। ~~किसी~~ पूर्वानुसार दिनांक 31.12.19


31/12/2019

वकील प्राची उपस्थित। P.O. साहू चुनाव कार्य में बाहर हैं। फावली पूर्वानुसार दिनांक 28.1.2020 को पेश हो। 


28/2/2020

वकील प्राची उपस्थित। P.O. साहू डीआर 21 जनवरी में बाहर हैं। फावली पूर्वानुसार दिनांक 25.02.2020 को पेश हो। 


25/3/2020

वकील प्राची उपस्थित। अपाधिकार के तलनामा के बाद नामील प्राप्ति नहीं हुई है। ना ही उपस्थित/अधिकारी का दिखली प्राप्त हुई है। P.O. साहू अपराध कार्य में बाहर हैं। अतः फावली वार्ड डीआर का पत्र जारी दिनांक 3.3.2020 को पेश हो। 

3.3.2020

वकील प्राची उपस्थित। P.O. साहू डीआर 21 जनवरी के बाहर पदोरे हैं। फावली पूर्वानुसार दिनांक 30.3.2020 को पेश हो। 

14.7.2020

कोरोना महामारी के फैलाव के कारण फावली आज दिनांक को पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। प्रोत्साहन कारका उपस्थित। वकील प्राची की बहस सुनी गई। वकील प्राची का कथन है कि प्रवर्तना पत्र तत्कालीन पीठसूची अधिकारी जगमालम अपलवडा अधिकारी संकट श्री हरिसिंह लखवारा आर ए ए के विक्रम सुलत किया गया। तत्कालीन पीठसूची अधिकारी का 

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व ता  
अहकाम ज  
हुक्म की स  
में जारी

स्वामान्तरण हो चुका है। अतः पार्थी इस  
पार्थीना फण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।  
इसलिए पार्थीना फण को स्वीकार किया जाने  
का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
पार्थीना फण श्री हरि सिंह लखौरा आरएएएस  
तत्कालीन व्यवस्थापिका श्री शेषक के विरुद्ध  
प्रस्तुत किया गया था। उनका स्वामान्तरण  
हो चुका है। अतः इस पार्थीना फण को आगे  
नहीं चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है।  
इसलिए पार्थीना फण स्वीकार किया जाता  
है। प्रकरण फंसलशुद्ध हो। बाद तत्काल  
दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से उक्त किया  
जावे।

(आर० के० जायसवाल)  
जिला कलक्टर, धौलपुर